



सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात

दिनांक- 01.05.2025

- ❖ अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।
- ❖ थाना रनियाँ पुलिस द्वारा कोतवाली अकबरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 171/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारंटी गिरफ्तारी के लिये एवं अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रनियाँ पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 171/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अकबरपुर कानपुर देहात जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक रनियाँ कानपुर देहात द्वारा संपादित की जा रही थी में वांछित चल रहे अभियुक्त उत्तम सिंह पुत्र दशरथ सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी असलनापुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात को आज दिनांक 01.05.2025 को थाना मंगलपुर क्षेत्र में मंगलपुर चौराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. उत्तम सिंह पुत्र दशरथ सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी असलनापुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात

अभियुक्त उत्तम सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 171/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 0073/2024 धारा 395/412 भा0द0वि0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 0218/2023 धारा 294 भा0द0वि0 थाना मंगलपुर कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 0286/2024 धारा 115(2)/3(5)/351(3) भा0द0वि0 थाना मंगलपुर कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियाँ पुलिस टीम-

- 1-मुकेश कुमार सोलंकी प्रभारी निरीक्षक रनियाँ
- 2-हे0का0 10 संजय सिंह
- 3-का0 39 प्रवेश कुमार